

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-जी०बी० नगर,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./2022-23/एस.एस.भ्रमण / 6795

दिनांक: 16-12-2022


विषयः—दिनांक 19 सितम्बर से 23 सितम्बर 2022 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या— एस०पी०एम०य००/एन०एच०एम००/एम०एण्ड
ई०/2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से
राज्य स्तरीय टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद के भ्रमण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया
है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उ०प्र० के उक्त
निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 19 सितम्बर से 23 सितम्बर 2022 तक जनपद जी०बी०
नगर का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण किये जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय
टीम द्वारा आख्या तैयार की गयी है।


उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित बिन्दुओं
पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित
करें।

भवदीया,


(अपर्ण उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./2022-23/एस.एस.भ्रमण/
प्रतिलिपि निम्निखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, जनपद-जी०बी० नगर, उ०प्र०।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र०।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल-मेरठ, उ०प्र०।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मण्डल-मेरठ, उ०प्र०।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक जनपद-जी०बी० नगर, उ०प्र०।


(अपर्ण उपाध्याय)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद-जी०बी० नगर,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./2022-23/एस.एस.भ्रमण /

दिनांक: 16-12-2022

विषय:-दिनांक 19 सितम्बर से 23 सितम्बर 2022 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक महोदय के पत्र संख्या- एस०पी०एम०य००/एन०एच०एम०/एम०एण्ड
ई०/2022-23/०४/२५६६-२ दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से
राज्य स्तरीय टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद के भ्रमण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया
है।

अवगत कराना है कि मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उ०प्र० के उक्त
निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 19 सितम्बर से 23 सितम्बर 2022 तक जनपद जी०बी०
नगर का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय
टीम द्वारा आख्या तैयार की गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित बिन्दुओं
पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित
करें।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./2022-23/एस.एस.भ्रमण/ 6795-7
प्रतिलिपि निम्निखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, जनपद-जी०बी० नगर, उ०प्र०।
4. समस्त महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०, लखनऊ, उ०प्र०।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल-मेरठ, उ०प्र०।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मण्डल-मेरठ, उ०प्र०।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक जनपद-जी०बी० नगर, उ०प्र०।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या जनपद-जी०बी०नगर

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र संख्या SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 19-23 सितम्बर, 2022 को भ्रमण दल द्वारा जनपद-जी०बी०नगर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः—

भ्रमण दल के सदस्य-

1. प्रभाकर शाक्या, तकनीकी सलाहकार, एम०एण्ड ई०।
2. संतोष कुमार भारती, कार्यक्रम समन्वयक, आर०आई०।
3. परिक्षित चौधरी, आडिट ऑफिसर, वित्त अनुभाग।

मुख्य संपर्क अधिकारी:

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद जी०बी०नगर।
- अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर० सी० एच०, जनपद जी०बी०नगर।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, जनपद जी०बी०नगर।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद जी०बी०नगर।
- अधीक्षक, नान ब्लाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भंगेल, जनपद जी०बी०नगर।
- अधीक्षक, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भंगेल, जनपद-जी०बी०नगर।
- अधीक्षक, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, होशियारपुर, जनपद जी०बी०नगर।
- अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दादरी, जनपद जी०बी०नगर।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भंगेल, जनपद-जी०बी०नगर

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> ● नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भंगेल हेतु संकेतांक (sinage) नहीं लगाये गये थे। ● सिटीजन चार्टर नहीं पाया गया। ● नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त स्थान न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही थी। ● नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर LT कार्यरत थी लैब भी पूर्ण रूप से सक्रिय था परन्तु परिक्षण किट मौजूद न होने के कारण आवश्यक जॉच नहीं की जा रही थी। ● नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ नर्स को SBA का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। ● आ०ई०सी० का प्रदर्शन मानकानुसार पर्याप्त नहीं था। ● पैथालॉजी जांच हेतु SOP/flow का प्रदर्शन नहीं था। 	<p>चिकित्सा केन्द्र पर संकेतांक (sinage) एवं सिटीजन चार्टर जल्द लगाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>मरीजों को बैठने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत LT को लैब में आवश्यक जॉच हेतु परिक्षण किट के लगातार इडेन्ट किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>स्टाफ नर्स को SBA का प्रशिक्षण कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>आ०ई०सी० का प्रदर्शन दिशानिर्देशों के अनुसार लगाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>SOP एवं flow चार्ट प्रदर्शन हेतु सुझाव दिया गया।</p>	MOIC

B

Santosh

नान ब्लाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भंगोल, जनपद जी०बी०नगर

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> • सिटीजन चार्टर नहीं पाया गया। • आ०ई०सी० का प्रदर्शन मानकानुसार पर्याप्त नहीं था। • फर्मासिस्ट को अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। • फर्मासिस्ट को DVDMS की जानकारी नहीं थी। • औषधियों पर मुहर नहीं लगी थी। • भण्डार का अभिलेखीकरण उचित नहीं था साथ ही औषधिया FIFO के अनुसार व्यवस्थित नहीं थी। • लेबर टेबल पर मैकिन्टौश नहीं था तथा कैलिसपैड पंचर था। • लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम के कार्यों हेतु उनमुखीकरण की आवश्यकता है। • स्वास्थ्य ईकाई पर अभिलेख अपूर्ण पाये गये। अभिलेख का रखरखाव भी ठीक नहीं था। • पैथालॉजी जांच हेतु SOP/flow का प्रदर्शन नहीं था। • Universal precautions के protocol का पालन नहीं किये जा रहा था। 	<p>सिटीजन चार्टर को मुख्य द्वारा Easily visible होने वाले स्थान पर प्रदर्शित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>फर्मासिस्ट को DVDMS पोर्टल का अभिमुखीकरण कराने जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>फर्मासिस्ट को औषधियों पर मुहर लगाकर ही वितरित किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>औषधियों को FIFO के अनुसार व्यवस्थित किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>लेबर टेबल पर मैकिन्टौश के साथ सही कैलिसपैड के उपयोग हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम के कार्यों हेतु नर्स मेंटर द्वारा उनमुखीकरण कराने जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>समस्त अभिलेखों को पूर्ण कर व्यवस्थित किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>SOP एवं flow चार्ट जल्द से प्रदर्शित जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>Universal precautions हेतु तकनीकी स्टाफ को उन्मुखिकृत किया जाए।</p>	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी

MOIC

मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद-जी०बी०नगर, की अध्यक्षता में शायं कालीन बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर० सी० एच०, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, के साथ सहयोगी संस्थाओं के जिला प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्य स्तरीय टीम द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंगोल तथा नान ब्लाक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भंगोल में भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया एवं उनके सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिया गया। बैठक के दौरान नान ब्लाक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भंगोल के चिकित्साधिकारी द्वारा अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे पल्स पोलियो कार्यक्रम के फिडबैक से भी मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, होशियारपुर, जनपद जी०बी०नगर

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिक्षण किट मौजूद न होने के कारण आवश्यक जॉच नहीं की जा रही थी। सिटीजन चार्टर नहीं पाया गया। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को बैठने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं था। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ नर्स को अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। आ०ई०सी०, SOP/flow chart का प्रदर्शन मानकानुसार नहीं था। स्वास्थ्य ईकाइ पर अभिलेख अपूर्ण पाये गये। अभिलेख का रखरखाव भी ठीक नहीं था। 	<p>नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत LT को लैब में आवश्यक जॉच हेतु परिक्षण किट के लगातार इडेन्ट किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>सिटीजन चार्टर को मुख्य द्वारा Easily visible होने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।</p> <p>मरीजों को बैठने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>SOP एवं flow चार्ट प्रदर्शन का सुझाव दिया गया।</p> <p>समस्त अभिलेखों को पूर्ण कर व्यवस्थित किये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	MOIC

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दादरी, जनपद जी०बी०नगर

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> लेबर टेबल पर मैकिन्टौश और कैलिसपैड नहीं था। सक्षन मशीन खराब थी। लेबर रूम में डिजिटल क्लाक नहीं थी। लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम के कार्यों हेतु उनमुखीकरण की आवश्यकता है। सिटीजन चार्टर नहीं पाया गया। 	<p>लेबर टेबल पर मैकिन्टौश के साथ सही कैलिसपैड के उपयोग हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>सक्षन मशीन को सही कराने अथवा नयी मशीन के उपयोग का सुझाव दिया गया।</p> <p>लेबर रूम में डिजिटल क्लाक के उपयोग का सुझाव दिया गया।</p> <p>लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम के कार्यों हेतु नर्स मेंटर द्वारा उनमुखीकरण कराने जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>सिटीजन चार्टर को मुख्य द्वारा Easily visible होने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।</p>	MOIC

Santosh

R

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> आ०ई०सी० का प्रदर्शन मानकानुसार पर्याप्त नहीं था। फर्मासिस्ट को DVDMMS की अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। भण्डार का अभिलेखीकरण उचित नहीं था साथ ही औषधिया FIFO के अनुसार व्यवस्थित नहीं थी। स्वास्थ्य ईकाई पर अभिलेख अपूर्ण पाये गये। अभिलेख का रखरखाव भी ठीक नहीं था। 	<p>आ०ई०सी० मानकानुसार प्रदर्शित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>फर्मासिस्ट को DVDMMS पोर्टल का अभिमुखीकरण कराने जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>औषधियों को FIFO के अनुसार व्यवस्थित किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>समस्त अभिलेखों को पूर्ण कर व्यवस्थित किये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी जनपद—जी०बी०नगर, की अध्यक्षता में शायं कालीन बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर० सी० एच०के साथ अन्य विभागों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी ब्लाकों के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सहयोगी संस्थाओं के जिला प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में डब्लूएच०ओ० के प्रतिनिधि द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे पल्स पोलियो कार्यक्रम के फिडबैक से समस्त ब्लाकों के प्रभारी चिकित्साधिकारीयों को अवगत कराया गया। बैठक के दौरान राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया एवं उनके सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिया गया। बैठक के दौरान सभी ब्लाकों के प्रभारी चिकित्साधिकारीयों को ई-कवच ऐप्लिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद—जी०बी०नगर

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> आर०सी०एच० पोर्टल से जनरेटेड नम्बर को केस शीट पर नहीं भरा जा रहा है। डाईट रजिस्टर को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। रजिस्टर में कालम खाली पाये गये। लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम के कार्यों हेतु उनमुखीकरण की आवश्यकता है। एन०आई०सी०य०० यूनिट कियाशील नहीं पायी गयी। आ०ई०सी० का प्रदर्शन मानकानुसार पर्याप्त नहीं था। 	<p>लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्सों को केस शीट में आर०सी०एच० पोर्टल से जनरेटेड नम्बर को प्राथमिकता के आधर पर भरने को कहा गया।</p> <p>डाईट रजिस्टर में खाली पाये गये कालम को भरवाया गया तथा आगे से सभी कालम को भरने का सुझाव दिया गया।</p> <p>लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम के कार्यों हेतु नर्स मेंटर द्वारा उनमुखीकरण कराने जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>एन०आई०सी०य०० यूनिट को जल्द से जल्द कियाशील किये जाने का सुझाव दिया गया।</p> <p>आ०ई०सी० का प्रदर्शन दिशानिर्देशों के अनुसार लगाने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>MOIC</p> <p>CMS/DPM</p>

Sadashiv

22

कार्यक्रम के बिन्दु	प्रदान किया गया सहयोग एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी
<ul style="list-style-type: none"> डायलिसिस यूनिट कियाशील पायी गयी। सी0टी0 स्कैन उचित प्रकार से किया जा रहा था एवं ऑनलाइन रिपोर्ट भी जनरेट हो रही थी। पैथालॉजी जांच हेतु SOP/flow का प्रदर्शन नहीं था। Universal precautions के protocol का पालन नहीं किये जा रहा था। चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था उत्तम नहीं थी। 	<p>SOP एवं flow चार्ट प्रदर्शन एवं protocol पालन करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>चिकित्सालय परिसर में पूर्ण रूप से साफ-सफाई रखने का सुझाव दिया गया।</p>	

Saudat

R

जनपद—जी०बी० नगर के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण के दैरान प्रकाश में आये वित्त अनुभाग के बिन्दु

अवगत कराना है कि 01.04.2012 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों का रख—रखाव अनिवार्य कर दिया गया है। आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला स्वास्थ्य समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बिसरख एवं जेवर) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (दादरी) के लेखा—भिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। लेखा अभिलेख उल्लेखनीय है कि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अनुसार लेखा पुस्तकों, लेखांकन, लेखा अभिलेख का रख—रखाव इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा गाइड लाइन्स के अनुसार ही लेखा पुस्तकों को तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन से आख्या निम्नवत है।

1. जिला स्वास्थ्य समिति (गौतम बुद्ध नगर): का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत हैः—

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति															
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की जिला स्वास्थ्य समिति की कैश बुक अपूर्ण पायी गयी।	कैश बुक को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी / लेखा लिपिक															
2	निरिक्षण के दौरान वित्तीय वर्ष 2022–23 का पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।	पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करें।																
3	वाउचर्स का रख—रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।	वाउचर्स का रख—रखाव उचित ढंग से किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / लेखा लिपिक															
4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Party name</th><th>Amount(Rs)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.08.2022</td><td>Riyansh Enterprises</td><td>9,59,180.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Riyansh Enterprises</td><td>8,60,620.00</td></tr> <tr> <td>22.08.2022</td><td>Yashika Enterprises</td><td>98,560.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Yashika Enterprises</td><td>2,60,582.00</td></tr> </tbody> </table>	Date	Party name	Amount(Rs)	24.08.2022	Riyansh Enterprises	9,59,180.00		Riyansh Enterprises	8,60,620.00	22.08.2022	Yashika Enterprises	98,560.00		Yashika Enterprises	2,60,582.00	भुगतान से पूर्व फर्मो द्वारा प्रेषित निविदा तथा तुलनात्मक विवरण संलग्न किया जाना चाहिए।	जिला लेखा प्रबंधक / लेखा लिपिक
Date	Party name	Amount(Rs)																
24.08.2022	Riyansh Enterprises	9,59,180.00																
	Riyansh Enterprises	8,60,620.00																
22.08.2022	Yashika Enterprises	98,560.00																
	Yashika Enterprises	2,60,582.00																
5	जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा भुगतानों से सम्बन्धित e-way bill नहीं लिए जा रहे हैं।	भुगतान से पूर्व भुगतानों से सम्बन्धित e-way bill को एकात्रित किया जाना चाहिए।	जिला लेखा प्रबंधक / लेखा															

			लिपिक
6	निरीक्षण के दौरान कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेखों की छायाप्रतियां नहीं उपलब्ध कराई गईं।	कोटेशन व टेंडर से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध कराना चाहिए था।	जिला लेखा प्रबंधक / लेखा लिपिक
7	वित्तीय वर्ष 2020-21 के वैधानिक ऑडिटर द्वारा दिये गये Observations के समक्ष Observations का Compliance अभी तक नहीं कराया गया है।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के वैधानिक ऑडिटर द्वारा दिये गये Observations के समक्ष Observations का Compliance कराना सुनिश्चित करें।	जिला लेखा प्रबंधक

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र:- (दादरी) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	वित्तीय वर्ष 2022-23 की कैश बुक का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।	पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर एवं कैश बुक का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से कराया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
2	पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी0डी0एस0 रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
3	टी0डी0एस0 रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकत्सा अधिकारी
4	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	
5	भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।	वाउचर्स का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।	
6	निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डाईट रजिस्टर में दिनांक एवं समय के स्थान पर overwriting की गयी है तथा सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली diet का सत्यापन किये बिना भुगतान किया जा रहा है।	भविष्य में लाभार्थियों को दी जाने वाली diet के भुगतान से पूर्व सत्यापन किया जाना चाहिए एवं डाईट रजिस्टर में किसी भी प्रकार की overwriting न की जाए।	
7		डेड स्टॉक रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना	ब्लॉक लेखा प्रबंधक

	डेड स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	सुनिश्चित करे।	
8	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
9	आशा पेमेंट के फार्म सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये।	आशा पेमेंट के फार्म तैयार एवं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	बी०सी०पी०एम०/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-(बिसरख) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:-

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
2	टी०डी०एस० रिटर्न समय से नहीं फाइल किया जा रहा है।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक को सुझाव दिया गया की टी०डी०एस० रिटर्न समय से फाइल किया किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
3	डेड स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	डेड स्टॉक रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
4	निरीक्षण के दौरान डाईट रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया।	डाईट रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
5	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
6	निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के डाईट रजिस्टर में दिनांक एवं समय के स्थान पर overwriting की गयी है तथा सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों का दी जाने वाली डाईट का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।	भविष्य में लाभार्थियों को दी जाने वाली डाईट का डाईट रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के उपरान्त तथा भुगतान से पूर्व सत्यापन किया जाना चाहिए एवं डाईट रजिस्टर में किसी भी प्रकार की over writing न की जाए।	स्टाफ नर्स/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
7	वित्तीय वर्ष 2022-23 की कैश बुक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं पाई गई।	कैश बुक का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से अतिशीघ्र कराया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

8	<p>वित्तीय वर्ष 2022–23 मे सम्बन्धित भुगतानों के supporting vouchers/bill नहीं पाए गए—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Amount</th><th>Party name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.08.2022</td><td>33825</td><td>Engineering & Intranet</td></tr> <tr> <td>05.01.2022</td><td>24485</td><td>Shankar General Supplier</td></tr> <tr> <td>20.01.2021</td><td>39643</td><td>Agarwal Electricals</td></tr> <tr> <td>26.10.2021</td><td>27392</td><td>Bansal Paint and Hrdware</td></tr> <tr> <td>26.10.2021</td><td>35416</td><td>Bansal Paint and Hrdware</td></tr> </tbody> </table>	Date	Amount	Party name	12.08.2022	33825	Engineering & Intranet	05.01.2022	24485	Shankar General Supplier	20.01.2021	39643	Agarwal Electricals	26.10.2021	27392	Bansal Paint and Hrdware	26.10.2021	35416	Bansal Paint and Hrdware	<p>सत्यापन के दौरान बिल अवलोकन नहीं कराए गए जो की वित्तीय अनियमितता की ओर इंगित करता है।</p>
Date	Amount	Party name																		
12.08.2022	33825	Engineering & Intranet																		
05.01.2022	24485	Shankar General Supplier																		
20.01.2021	39643	Agarwal Electricals																		
26.10.2021	27392	Bansal Paint and Hrdware																		
26.10.2021	35416	Bansal Paint and Hrdware																		

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :—(जेवर) का लेखा एवं रिकॉर्ड का बिंदुवार आख्या निम्नवत हैः—

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कार्यवाही जो की जानी है।	जिम्मेदार व्यक्ति
1	पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं कराया जा रहा है।	पी०एफ०एम०एस० रजिस्टर का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से शीघ्र अतिशीघ्र कराया जाए।	
2	वित्तीय वर्ष 2022–23 मे किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	
3	वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्टॉक रजिस्टर मे overwriting की गयी है।	डेड स्टॉक रजिस्टर मे किसी भी प्रकार की overwriting न की जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
4	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे।	
5	वित्तीय वर्ष 2022–23 की कैश बुक सत्यापित नहीं पायी गयी तथा कैश बुक मे दिनांक एवं धनराशि के स्थान पर overwriting की गयी है।	वित्तीय वर्ष 2022–23 की कैश बुक को शीघ्र अतिशीघ्र सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी से सत्यापित कराना सुनिश्चित करें।	

f

6	निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के डाईट रजिस्टर में लाभार्थियों को दी जाने वाली diet की प्रविष्टियां नहीं की गयी है एवं बिना प्रविष्टियों के सत्यापन के डाईट का भुगतान किया जा रहा है।	लाभार्थियों को दी जाने वाली डाईट का डाईट रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के उपरान्त तथा भुगतान से पूर्व सत्यापन किया जाना चाहिए।	स्टाफ नर्स/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
7	भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।...	वाउचरों का रख-रखाव उचित ढंग से रखना सुनिश्चित करें।	ब्लॉक लेखा प्रबंधक
8	ब्लॉक लेखा प्रबंधक द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	

उपरोक्त कमियों कमियों पर सुधार हेतु चर्चा जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों के समक्ष की गयी तथा आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंशियल मैन्युल में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये जाने तथा मैनुअल का जनपद एवं अधिनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन किये जाने पर जोर दिया गया।
आपेक्षित कार्यवाही:

1. Universal precaution एवं BMW को अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।(जनपद स्तर- MOIC)
2. साफ-सफाई की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।(जनपद स्तर- MOIC)
3. अभिलेखों का रख-रखाव एवं अद्यतन किया जाना है।(जनपद स्तर-MOIC)
4. IEC के प्रदर्शन एवं पूर्व प्रदर्शित IEC के नवीनीकरण की आवश्यकता है।(जनपद स्तर- DPM & MOIC, HEO)
5. आशा, ए०एन०एम० एवं आँगनवाड़ी कार्यक्रम के उन्नमुखीकरण की आवश्यकता है।(जनपद स्तर- DCPM, BCPM & MOIC, HEO)
6. परिवार नियोजन के परामर्श हेतु पृथक व्यवस्था की जानी आवश्यक है साथ ही कम्युनिटी मोबिलाइजर जैसे आशा/उषा आदि को भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करने हेतु उन्मुखिकृत किया जाना आवश्यक है।(जनपद स्तर- MO/BPM/BCPM/DCPM)
7. तकनीकी एवं waste management & universal precaution बिन्दुओं पर तकनीकी कर्मचारियों को संवेदीकृत एवं उन्मुखीकरण किये जाने की आवश्यकता है। (जनपद स्तर- MO/BPM/BCPM/DCPM)

f

Santosh

R